30

18 March 1966

Dear Comrade,

Reference your letter dated the 10th March regarding the affiliation of your Union. This is to inform you that the Working Committee of the AITUC is meeting on 25 & 26 April which only can take steps in this respect. We will intimate you accordingly, then.

With greetings,

Yours fraternally,

(K.G.Sriwastava)

To,

The General Secretary,
Kooo Karmachari Union,
Maunath Bhanjan
(Azamgarh)(U.P.)

इक्को कर्मचारी यूनियन

मऊनाथ भंजन (उ० प्र०)

पत्रांक .... दिनांक 20/3/66 १९६

श्रीमान प्रधान मंत्री महोदय
आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस
दिल्ली

1153 17/3/66.
Replied........................

सेवा में,

निवेदन है कि अपने पूर्व पत्र द्वारा हम आपको सूचित कर चुके हैं कि हमारे यहाँ बेकारी वाला बन्दी व मजदूरों की निष्कासन एवं गम्भीर समस्या बन चुकी है। साथी हरीश विरोधियों से लौट चुके हैं। हम लोगों ने [illegible] मजदूर [illegible] आपकी सम्बद्धता स्वीकृति की थी है, फिर भी इस समय आपका सम्बद्धता प्रमाण पत्र अत्यन्त आवश्यक हो गया है ताकि आवश्यक कदम उठाने में हमें सुविधा हो।

हम मजदूरों की हालत को विचार रखकर आप शीघ्रातिशीघ्र सम्बद्धता पत्र देने की कोशिश करेंगे।

सहयोग की नयी उम्मीदों में आपका [illegible] हूँ

भवदीय
मंत्री
[illegible]

इक्को [illegible] यूनियन,
मऊनाथ [illegible] आजमगढ़)
रजि० संख्या २६०३,

R
What is the position here?
[illegible]
20/3

Received 22/12 30/4/66
Replied..........

रोशनलाल शर्मा
मंत्री
संयुक्त मजदूर फैडरेशन
सुन्दर बिल्डिंग सरापा, हाथरस,
जिला अलीगढ़, (यू० पी०)

पत्रांक 342/66

सेवा में, 15 3

मंत्री महोदय,
ए० आई० टी० यू० सी० 4 अन्डुवालान रानी झांसी रोड
नई दिल्ली,

हाथरस में काफी अच्छा कार्य चल रहा था जिले का प्रभाव शाली नेतृत्व उसे पसंद न कर सका का० उदयवीर सिंह का० मुंशी गजाधर सिंह का० हरपाल सिंह अलीगढ़ जिले के जाने माने बुजुर्ग और प्रभाव शाली नेता हैं लेकिन अब बुजुर्ग होने की वजह से कार्य करने में असमर्थ हैं फिर भी चाहते हैं कि नेता गिरी उन्हीं की रहे। हाथरस डा० की हर बात को मानने में असमर्थ था यह उन को पसन्द न आया जहाँ पर पूरे जिले की किसान सभा, ट्रेड यूनियन, महिला संघ, स्टूडेन्ट फैडरेशन, प्रगतिशील लेखक संघ आदि को समाप्त कराया वहीं पर अच्छे कार्य कार्य करता ओं को पार्टी से निकाला, जैसे, सूबेदार सिंह, किशोरीलालशर्मा, स्वामी ब्रह्मानन्द, भूदेव प्रसाद शर्मा और का० गंगापाल सिंह आदि उसी प्रकार मेरे खिलाफ प्रचार २ से हमला शुरू किया अतः मैं ने कहा कि कोई नेता नहीं रहा और ज्यादा भी नहीं हूँ पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ किन्तु जनता मुझे प्यार करती है इस आधार दिनांक १८-४-६६ को पार्टी से त्याग पत्र दे दिया अब मैं यहां पर संयुक्त मजदूर फैडरेशन, संयुक्त सदाचार समिति, नागरिक सेवा समिति के मंत्री की हैसियत से कार्य कर रहा हूँ।

यहाँ पर रिक्शा चालक यूनियन व सूती मिल मजदूर सभा दो संगठन ए० आई० टी० यू० सी० से सम्बन्धित हैं मैं दोनों का मंत्री था किन्तु का० मुंशी गजाधर सिंह के आदेशानुसार उक्त दोनों संगठनों को मुझ से छीन लिया है मुझे छीनने का दुख: नहीं है दिनांक 30-4-66 तक सालाना लेखा जोखा का "क" फार्म रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स उत्तर प्रदेश कानपुर और सूचना आपको भेजनी थी क्यों कि यहां पर कोई भी साथी "क" फार्म भरना नहीं जानते यह भय है कि दोनों संगठनों का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जायगा।

अतः आप कोई भी यू० पी० टी० यू० सी० का प्रति निधि भेजकर दीजिए जो "क" फार्म भर दे जिस से संगठन का रजिस्ट्रेशन बचा रहे। या का० गंगा प्रसाद अध्यक्ष मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शाखा हाथरस जिला अलीगढ़ को आदेश दे कि वह तत्काल दोनों यूनियनों के पत्र जारी मुझे दे दें क्यों कि मैं चुना हुआ मंत्री हूँ ट्रेड यूनियन पर पार्टी के मंत्री का कब्जा नहीं होना चाहिए।

भवदीय
रोशनलाल

मैं काफी दिनों से का० हरीश तिवारी व का० कालीशंकर शुक्ला जी को लिख रहा था उन का कोई उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ बल्कि जिला पार्टी को भी यह लिखते रहे इस लिये अब आप को लिखा जा रहा है।

मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे में ट्रेड यूनियन होलटाइमरों की काफी कमी है मुझ जैसे बुड्ढे हूटे फूटे हैं पर तो वह नेता गिरी के चक्कर में समाप्त किये जा रहे हैं।

मुझे पूर्ण आशा है कि इस पत्र का आप उत्तर देकर दोनों यूनियनों के रजिस्ट्रेशन को बचवाने की कृपा करेंगे।

आशीर्वाद बाद में,

दिनांक 28-4-66 ई०

आपका
रोशनलाल
रोशनलाल शर्मा
मंत्री
संयुक्त मजदूर फेडरेशन
सुनार बिल्डिंग सराफा **हाथरस** जि० अलीगढ़

ब्रान्च मंत्री का पता निम्न है।

का० गंगा प्रसाद अग्रवाल,
मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
शाखा हाथरस,
गली मालियान हाथरस
जि० अलीगढ़ (उ०प्र०)

Kameshwar Prasad Agrawal
M.A., B.COM., LL. B.,
ADVOCATE HIGH COURT
ALLAHABAD

Tele : 3 1 7 5
8 Mahatma Gandhi Marg,
ALLAHABAD.

A. I. T. U. C.
Received 3.8.1.25/7/66
Replied

July 1, 1966

Dear Friend,

I am writing to you in connection with a case which is of general importance for the employees of Indistrual Establishments and which is shortly to be decided by a full bench of the High Court of Judicature at Allahabad.

Sri S. P. Srivastava was an employee of the Banaras Electric Light and Power Co. When he entered into service an agreement was made which provided that his services could be terminated at one month's notice or salary in lieu thereof. Standing Orders certified under the Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946 laid down the terms and conditions of service of the employees of the company. One of the clauses of the Standing Orders provided that the company could discharge an employee when it had lost confidence in him provided that before being discharged in that manner, he would be given a charge sheet and an opportunity to explain the charges made against him.

Sri Srivastava was discharged in terms of the agreement. An Industrial Dispute arose and the matter was referred for adjudication to the Labour Court. It was contended on behalf of the workmen that as Standing Orders were applicable in the company, his services could be terminated only in accordance with the same and not in terms of the agreement. The Labour Court upheld the contention of the workmen and decided that where there was a conflict between the terms of agreement and the terms and conditions in the Standing Order the latter would prevail.

The employer company took the matter to the High Court and Mr. Justice Oak held that in case of a conflict between a special agreement between an employer and an employee and the provisions in the Standing Orders the former would prevail because a special provision would override the general provisions. He relied on an earlier decision of his own reported in A. I. R. 1959 Allahabad at page 639 (J. K. Cotton Manufacturing Co. Vs. J. N. Tewari).

The Judgement of Mr. Justice Oak in writ petition No. 114 of 1960 was challenged in Special Apeal (No. 644 of 1961) which came up for hearing before a Bench of Allahabad High Court consisting of Mr. Justice Jagdish Sahai and Mr. Justice B. D. Gupta. It was urged by the employer that the decision of Mr. Justice Oak found support from another Division Bench case reported in 1961 (2) Labour Law Journal at page 523 (British India Corporation Ltd. Kanpur Versus Labour Appellate Tribunal Lucknow and others.)

It was urged before the Division Bench on behalf of the workmen that the correct legal proposition was that in case of a conflict between the Special agreement between the parties and the Standing Orders the latter would prevail and not the former. The division bench hearing the Special appeal was of the opinion that the acceptance of the view taken in A. I. R. 1959 Allahabad page 639 and 1962 (2) Labour Law Journal 523 was beset with difficulties. The Division Bench while refraining from expressing any final opinion referred the following question for consideration by a full bench of the High Court "In case of conflict between a contract of service entered into between the employees and the company and Standing Order of the latter which would prevail ?"

You will agree with me that question before the full Bench is of great importance to the employees working in the Industrial concerns where Industrial Employment (Standing Orders) Act. 1946 is applicable. If the present view of the Allahabad High Court is accepted by the Full Bench, it would strike at the very root of the concept of "collective bargaining" and the employees would be left at the mercy of the employers for they would always be dictating terms notwith-standing the provisions contained in the Standing Orders.

The purpose of writing this letter to you is to seek your advice and assistance in placing the case of the workmen before the full Bench of the High Court at Allahabad.

A few words in reply will highly oblige,

Thanking you,

Yours Truly

(K. P. Agrawal, Advocate)

Member, Executive Committee

U. P. Trade Union Congress.

गौ. मुखर्जी
सदस्य कार्यकारिणी, उत्तरप्रदेश ट्रेड यूनियन कांग्रेस
. MUKHERJEE
Member executive, U. P. Trade Union Congress

Phone 3107

42/54 CHAHMAHAMA
VARANASI - 1

Ref. 384/66/WP-T.

Dated 8-10-66

A. I. T. U. C.
Received 4734 11/10/66
Replied ....

To

The General Manager,
Diesel Locomotive Works,
Manduadih-Varanasi

Sub:- Termination of service of 240 Casual Labour of I.O.W. Sec- w.e.f. 1-10-66.

Dear sir,

On behalf of the All India Trade Union Congress, Varanasi Office, I have the honour to bring the following matter for your early consideration.

The workmen of Varanasi and Diesel Loco Works, Manduadih, Varanasi feel with grave concern the abrupt termination of service of 240 so-called C asual labours of I.O.W. who have been serving in the concern for more than one year satisfactorily w.e.f. 1st. October, 1966.

This termination is not at all justified and the employers and workmen have great apprehension that these posts may be filled by persons of choice of the officers concerned.

These workmen have served to built the works at very low rate of wages and most of the Casual Labour are being denied C.P.C. scale of pay and after serving in the concern for more than one year satisfactorily their services have been abruptly terminated. Naturally this has caused uncertainty and grave concern and resentment among the vast Member of so-called Casual labour.

The workmen represented their case before the authorities but in vain. This has further caused discontents and the workmen finding no other alternative has started agitation in a most peaceful manner and we are informed that the hungery workmen who have been suddenly thrown in the streets, have no other alternative but to go on hunger strike in case their justified demands are not conceeded.

Therefore, this is to request you to kindly consider the following justified ~~cases~~ demands of the workmen :-

P.t.o.

(1) All the terminated 240 workmen whose are of six months service be reinstated or given alternate job.

(2) All the land-loosers whose services have been terminated be taken back to their jobs or offered alternate jobs.

(3) That the maltreatment and mis-behaviour of the officers in I.O.W. section towards the Casual Labourers be stopped.

Yours faithfully,

(B. MUKGERJEE)

Copy for information and necessary action please.

(1) The District Magistrate, Varanasi.

(2) The Hon'ble Minister for Railways - New Delhi

(3) Sri S. A. Dange , General Secretary - All India Trade Union Congress, New Delhi.

B. Mukherjee

(B. Mukherjee)

सदस्य,

कार्य कारिणी समिति

उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन कांग्रेस

153

दुनियाँ के मजदूर एक हो   एकता में ही शक्ति है

हाथ करघा उद्योग कर्मचारी यूनियन

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा विश्व मजदूर संघ से सम्बन्धित

दरीबापान, अलीगढ़

पत्र संख्या ..... [illegible]   दिनाङ्क 23-[illegible]-66

A.I.T.U.C.
Received [illegible]
Replied ....

सेवामें श्री [illegible]

प्रबन्धक

[illegible]

महोदय

मैं आपके यहाँ हाथ करघा उद्योग कर्मचारी [illegible] की दिनांक 18-11-66 की [illegible] में [illegible] 10 [illegible] रहा हूँ।

मुझे आशा है कि आप [illegible] और [illegible] के लिए [illegible] मजदूर [illegible] रहे हैं।

आपके [illegible] समझौता [illegible] में [illegible] होंगे।

मुझे [illegible] ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि [illegible] अधिष्ठान [illegible] 1966 [illegible] यदि हमारे [illegible] 1966 [illegible] होगी।

[illegible] समझौते की आशा में [illegible]

प्रतिलिपि [illegible] प्रेषित [illegible]।

1- [illegible] अलीगढ़

2- [illegible] उत्तर प्रदेश आगरा।

दुनियाँ के मजदूर एक हो | एकता में ही शक्ति है

हाथ करघा उद्योग कर्मचारी यूनियन

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा विश्व मजदूर संघ से सम्बन्धित

दरीबापान, अलीगढ़

पत्र संख्या.................   दिनाङ्क................................ (2)

3- श्रीमान डे.ल.सी. महोदय जी.टी. रोड कानपुर

4- " सचिव श्रम (कल) विभाग विधान भवन लखनऊ

5 " जिलाधीश महोदय अलीगढ़

6 " प्रधान मंत्री ए. आई. टी. यू. सी. न्यू दहली.

सधन्यवाद

भवदीय

नौबतराम

मन्त्री

हाथ करघा उद्योग कर्मचारी यूनियन
दरीबा पान, अलीगढ़

दुनियाँ के मजदूर एक हो — एकता में ही शक्ति है

हाथ करघा उद्योग कर्मचारी यूनियन

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा विश्व मजदूर संघ से सम्बन्धित

दरीबापान, अलीगढ़

पत्र संख्या.............. 'प्रस्ताव' दिनाङ्क..............................

वी॰दास एन्ड कम्पनी के कर्मचारियों की हाथ करघा उद्योग कर्मचारी यूनियन के तत्वावधान में श्री देवदत्त भारद्वाज की अध्यक्षता में हो रही यह आमसभा उपरोक्त दस सूत्रीय मांगों का पूर्ण समर्थन करती है. क्योंकि उपरोक्त माँगे आज की बढ़ी हुई मँहगाई और श्रम कानूनों को देखते हुये पूर्णतय: उचित और न्याय संगत मानती है. आम सभा वी॰दास एन्ड कम्पनी के प्रबन्धक मन्डल से माँग करती है कि वह इन माँगों को मानलें यदि उन्हों-ने यह माँगें नहीं मानी तो दिनाङ्क १५-१२-६६ को सुबह ७½ बजे से माँगे मान लेने तक हड़ताल रहेगी. आम-सभा उपरोक्त अधिष्ठान के प्रबन्धक मन्डल से आशा करती है कि वह उपरोक्त माँगों पर किसी सर्व-सम्मति समझौते पर पहुँचने के लिये तथा श्रमिकों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिये समझौता-वार्ता आयोजित करेंगे जिसका सम्बन्धित-यूनियन हाथ करघा उद्योग कर्मचारी यूनियन सदैव स्वागत करेगी. प्रबन्धक मन्डल ने यदि १० सूत्रीय माँग पत्र को ~~[illegible]~~ नहीं माना. और श्रमिकों को परिणाम स्वरूप हड़ताल पर जाना पड़ा, तो उसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

माँगे.

१ यूनियन को मान्यता दी जाय.।

लगातार----

दुनियाँ के मजदूर एक हो | एकता में ही शक्ति है

हाथ करघा उद्योग कर्मचारी यूनियन

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा विश्व मजदूर संघ से सम्बन्धित

दरीबापान, अलीगढ़

(2)

पत्र संख्या.................. दिनाङ्क..............................

२. मँहगाई से राहत पाने के लिये मौजूदा रेटों मे १००% की बढ़ोतरी की जाय।

३. आर्थिक वर्ष १९८५-८६ का बोनस २ माह के वेतन के बराबर दिया जाय।

४. सब कर्मचारियों को हाजिरी कार्ड दिये जायें।

५. काम का दिन फैक्टरी एक्ट के अनुसार आठ घन्टे का माना जाय तथा अधिक समय काम कराने पर ओवरटाइम का भुगतान कानून के मुताबिक दुगना किया जाय।

६. सब कर्मचारियों को १५ दिन काम करने पर एक दिन की छुट्टी सवेतन मानी जाय।

७. सब कर्मचारियों को वर्ष में त्यौहारों की १५ छुट्टियाँ सवेतन दी जाय।

८. कर्मचारियों को कच्चा माल समय पर न देने पर बेकार बैठे समय का दैनिक वेतन दिया जाय।

९. तिलक सिंह पुत्र चोखे लाल को पुनः काम पर वापिस लिया जाय।

१० कारखाने में अपने करघे व औजार से काम करने पर ५०) रु० महावार का औजार और करघा भत्ता दिया जाय।

(हस्ताक्षर) [illegible]

सभापति